1. मॉड्यूल और इसकी संरचना का विवरण

मॉड्यूल विवरण	
विषय नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	भारतीय आर्थिक विकास 01 (कक्षा XI, सेमेस्टर - 1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	ग्रामीण विकास- II: कृषि विपणन - भाग 2
मॉड्यूल Id	keec_10602
पूर्वअपेक्षित ज्ञान	कृषि और संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, ऋण और विपणन के बारे में ज्ञान
उद्देश्य	इस पाठ के माध्यम से जाने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे: i. कृषि विपणन ii. उधार की सुविधाएं iii. गतिविधियों का विविधीकरण जैविक खेती
मुख्य शब्द	ग्रामीण विकास, ग्रामीण ऋण, ग्रामीण ऋण, सहकारी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2. Development Team

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Mohd. Mamur Ali	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Mr. Amit Mehrotra	Arwachin International School, Delhi
Review Team	Dr. Meera Malhan Dr M U Farooque	DCAC. University of Delhi Satyawati College (Evening), University of Delhi
Translator	Mr. Pushpendra Kumar Rana	PGT Economics, Birla Balika Vidyapeeth Pilani

विषय-सूची :

1. कृषि विपणन
2. कृषि विपणन की चुनौतियाँ
3. वैकल्पिक विपणन चैनल
4. कृषि गतिविधियों का विविधीकरण
5. सतत विकास और जैविक खेती
6. निष्कर्ष

कृषि विपणन

कृषि विकास और समग्र ग्रामीण विकास के संदर्भ में कृषि विपणन एक महत्वपूर्ण मापदंड है। कृषि उत्पादों की समय पर और लाभकारी बिक्री किसानों को कृषि के सभी क्षेत्रों में प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। समझदार किसान एक साथ अपने उत्पादन और बिक्री पर नजर रखते हैं। दुर्भाग्य से भारत में, कृषि विपणन कुछ अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करता है। किसान अक्सर अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असफल रहते हैं। इसके अलावा, मानसून पर निर्भरता के कारण भारत में खेती बहुत अनिश्चित है। भारत में अधिकांश किसान निर्वाह स्तर जीते हैं।

कृषि विपणन केवल कृषि उपज की बिक्री नहीं है, बल्कि इसमें फसल की कटाई के बाद उपज इकट्ठा करना, उत्पादन को संसाधित करना, उनकी गुणवत्ता के अनुसार उनकी ग्रेडिंग करना, खरीदारों की पसंद के अनुसार पैकेजिंग करना, भविष्य की बिक्री के लिए भंडारण करना और क़ीमतों के बेहतर होने पर उन्हें बेचना शामिल है।

कृषि विपणन की चुनौतियाँ

आइए अब हम विपणन पहलू को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए कुछ उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय था, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की स्थिति बनाने के लिए बाजारों का विनियमन, जिसने किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित किया है। हालांकि, ग्रामीण बाजारों की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अभी भी विनियमित बाजारों के रूप में

ग्रामीण नियत कालिक बाजारों को विकसित करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय सड़कों, रेलवे, गोदामों, भणडार, शीतागार और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी भौतिक बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा सुविधाएं काफी अपर्याप्त हैं और इसमें सुधार की जरूरत है। सहकारी विपणन, किसानों के उत्पादों के उचित मूल्यों को साकार करने में, सरकार की पहल का तीसरा पहलू है। गुजरात और देश के कुछ अन्य हिस्सों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने में दुग्ध सहकारी समितियों की सफलता सहकारी समितियों की भूमिका का प्रमाण है। हालांकि, सहकारी समितियों को किसान सदस्यों की अपर्याप्त कवरेज, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच उचित लिंक की कमी और अक्षम वित्तीय प्रबंधन के कारण हाल ही में एक झटका लगा है। चौथा तत्व नीतिगत उपकरण हैं जैसे (i) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का आश्वासन (ii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के बफर स्टॉक का रखरखाव और (iii) पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न और चीनी का वितरण।

इन साधनों का उद्देश्य किसानों की आय की रक्षा करना और गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हालांकि, सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद, निजी व्यापार (साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिक कुलीन, बड़े व्यापारी और अमीर किसानों द्वारा) कृषि बाजारों पर पहले से हावी हैं। सरकारी हस्तक्षेप अति आवश्यक है, खासकर जब कृषि उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि, किसानों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

वैकल्पिक विपणन प्रणाली

कृषि विपणन के उभरते वैकल्पिक माध्यम उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आशा की किरण हैं जो बिचौलियों के हाथों पीड़ित हैं। किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री एक ऐसा ही माध्यम है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य इसे 'अपनी मंडी ', 'बिग बाजार' जैसे चैनलों के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य इसे 'रयथु बाजार' (सब्जियों और फलों के बाजार) के माध्यम से कर रहे हैं, तमिलनाडु राज्य 'उज़ावर सैंडिस ' (किसानों के बाज़ार) और पुणे हडस्पार मंडी के माध्यम से इसे कर रहा है। उनके अलावा, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (जैसे रिलायंस रिटेल) द्वारा किसानों के साथ प्रत्यक्ष बिक्री अनुबंध कृषि

विपणन का एक अन्य वैकल्पिक चैनल है। वास्तव में, ये कंपनियां पूर्व निर्धारित दरों पर किसानों को वांछित मात्रा में कृषि उत्पादों की खेती के लिए अग्रिम भुगतान की पेशकश कर रही हैं। विपणन की ये प्रणालियाँ राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय रीटेल के विकास के साथ विकसित होंगी। यह न केवल कृषि उत्पादों के लिए बाजार के विस्तार में मदद करेगी, बल्कि छोटे किसानों के लिए मूल्य-जोखिम को भी कम करेगी।

कृषि गतिविधियों का विविधीकरण

समय के साथ, भारत में ग्रामीण आबादी में काफी वृद्धि हुई। बढ़ी हुई जनसंख्या को कृषि में समायोजित नहीं किया जा सकता है। घटते खेत का आकार, अस्थिर मानसून, आय में अस्थिरता और खराब सिंचाई की सुविधा किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर करती है। कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति को विविधता की और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों को कृषि या अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों में खोजने की जरूरत है। इसमें फसल उत्पादन का विविधीकरण (i) और उत्पादक गतिविधि का विविधीकरण शामिल है।

फसल उत्पादन के विविधीकरण का अर्थ है एक विशेष फसल के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन। इसका मतलब एकल फसल प्रणाली से बहु-फसल प्रणाली में बदलाव है, जो किसानों को अधिक विकल्प और आय जुटाने में मदद करती है। उत्पादक गतिविधि के विविधीकरण का अर्थ आय बढ़ाने और स्थायी आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने की दृष्टि से खेती-बाडी से लेकर उत्पादक गतिविधि के अन्य क्षेत्रों में बदलाव से है। गैर-कृषि गतिविधियों में विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि क्षेत्र से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करेगी एवं ग्रामीण लोगों को गरीबी दूर करने के लिए स्थायी और लाभकारी रोजगार और उच्च स्तर की आय भी प्रदान करेगी। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध गतिविधियों, गैर-कृषि रोजगार और आजीविका के अन्य उभरते विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गैर-कृषि गतिविधियों में कई खंड शामिल हैं। गतिशील उप-क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग, पर्यटन आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों में क्षमता है लेकिन बुनियादी ढांचे और अन्य सहायता की कमी है। मिट्टी के बर्तनों, शिल्प, हथकरघा, साबुन निर्माण, गुड़िया बनाने, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन जैसे

पारंपरिक गृह आधारित उद्योग भी हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू स्तर पर विविध उत्पादक गतिविधियों में महिलाओं के रोजगार के माध्यम से आय सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्व-सहायता समूहों द्वारा इन घरेलू गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

चार्ट 6.1 भारत में मुर्गी पालन का वितरण और पशुधन, 2012

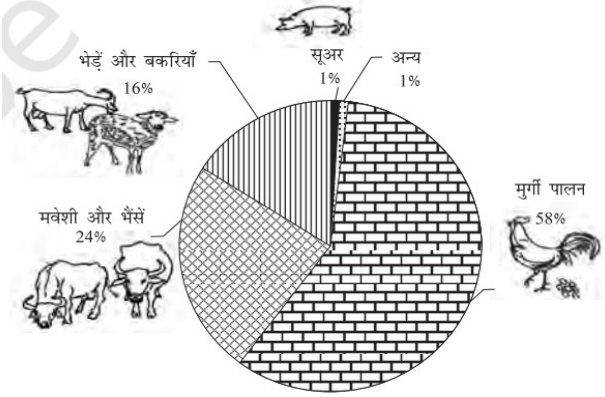

स्रोत: भारतीय आर्थिक विकास, कक्षा- ग्यारहवीं

मत्स्य पालन के मामले में, वर्तमान में अंतर्देशीय स्रोतों (नदियों, झीलों, प्राकृतिक जलीय तालाबों, नदियों आदि) और समुद्री क्षेत्र (समुद्र और महासागरों) से मछली उत्पादन बढ़ रहा है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में बजटीय आवंटन और नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में, अंतर्देशीय स्रोत मछली उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 64 प्रतिशत का योगदान देते हैं और शेष 36 प्रतिशत समुद्री क्षेत्र (समुद्र और महासागरों) से आता है। आज मछली उत्पादन कुल जीडीपी का 0.8 प्रतिशत है। भारत में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रमुख मछली उत्पादक राज्य हैं। मछली पकड़ने वाले परिवारों का एक बड़ा वर्ग गरीब है। बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य क्षेत्रों में श्रम की गतिशीलता की अनुपस्थिति, अशिक्षा और ऋणग्रस्तता की उच्च दर कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनका आज मछली पकड़ने वाले समुदाय सामना कर रहे हैं। हालांकि महिलाएं सक्रिय मछली पकड़ने में शामिल नहीं हैं, निर्यात विपणन और आंतरिक विपणन में लगभग 60 प्रतिशत कार्यबल महिलाएं हैं। मछुआरों की विपणन के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए के लिए सहकारी समितियों और एसएचजी के माध्यम से ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की

आवश्यकता है। मछली पकड़ने और प्रदूषण पर नियंत्रण और नियंत्रण करने की भी आवश्यकता है। निरंतर आजीविका प्रदान करने के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

उद्यान विज्ञान (बागवानी)

भारत एक अलग जलवायु और मिट्टी की स्थिति के साथ सम्पन्न है। देश ने विभिन्न बागवानी फ़सलों जैसे फल, सब्जियाँ, कंद फ़सलों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मसालों और वृक्षारोपण फ़सलों को उगाने की पहल की है। ये फसलें भोजन, पोषण और रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1991-2003 के बीच की अवधि को 'स्वर्णिम क्रांति' कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक हो गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में उभरा। भारत विभिन्न प्रकार के फलों जैसे आम, केले, नारियल, काजू और कई मसालों के उत्पादन में एक विश्व नेता के रूप में उभरा है। फूलों की कटाई, नर्सरी रखरखाव, संकर बीज उत्पादन और ऊतक संवर्धन, फलों और फूलों का प्रसार और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक रोजगार के अवसर हैं। बागवानी क्षेत्र कृषि उत्पादन के मूल्य का लगभग एक तिहाई और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत योगदान देता है।

बागवानी एक सफल आजीविका विकल्प के रूप में उभरा है और इसे काफी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, शीत भण्डार प्रणाली, विपणन श्रंखला, छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण इकाइयों और प्रौद्योगिकी में सुधार और प्रसार में निवेश की आवश्यकता है। फिर भी, बागवानी उत्पादन में लगे कृषक समुदाय की आय के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बागवानी खेती में स्थानांतरण से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक भेद्यता कम हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल गए हैं। कुल ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बागवानी और संबद्ध गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होता है।

अन्य सतत रोजगार/ आजीविका विकल्प सूचना

प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था पर कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आईटी इक्कीसवीं सदी में सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सरकारों को उचित जानकारी और सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करके खाद्य असुरक्षा और भेद्यता के क्षेत्रों

की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है, ताकि किसी आपातकाल की संभावना को रोकने या कम करने के लिए कार्रवाई की जा सके। उभरती प्रौद्योगिकियों और इसके अनुप्रयोगों, कीमतों, मौसम और मिट्टी की स्थिति के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने आदि के बारे में सूचना के प्रसार में आईटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की क्षमता भी है।

सतत विकास और जैविक खेती

हाल के वर्षों में, हमारे स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। कृषि रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों आदि पर बहुत निर्भर करती है, जो खाद्य आपूर्ति में प्रवेश करते हैं, जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं, पशुधन को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को ख़राब करते हैं और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को तबाह करते हैं। प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो सतत विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल और आवश्यक हैं। जैविक खेती इस तरह की पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का एक उदाहरण है। यह कृषि की एक प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है, बढ़ाती है और पुनर्स्थापित करती है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण या इसमें रहने और काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छी फसल की पैदावार हासिल करने की तकनीक का उपयोग करना शामिल है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जैविक रूप से उगाये हुए भोजन की मांग बढ़ रही है।

जैविक खेती स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैविक आदानों के साथ महंगे कृषि आदानों (जैसे HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि) को बदलने का अवसर प्रदान करती है, जो कि सस्ते होते हैं और जिससे निवेश पर अच्छा लाभ होता है। जैविक कृषि निर्यात के माध्यम से भी आय उत्पन्न करती है क्योंकि जैविक रूप से उगाई गई फसल की मांग बढ़ रही है। जैविक रूप से उगाया हुए भोजन रासायनिक रूप से उगाए जाने वाले भोजन से अधिक पोषक होता है और इसलिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह भारत जैसे देश के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह श्रम-गहन होने के नाते अधिक श्रम शक्ति को अवशोषित कर सकता है। उत्पादों को कीटनाशक मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित किया जाता है।

हालाँकि, जैविक खेती की नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों की ओर से जागरूकता और इच्छा की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि जैविक कृषि से उपज आधुनिक कृषि खेती की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, छोटे और सीमांत किसान इसे अपनाने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। विपणन एक और समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैविक उत्पादों की स्वंय की आयु कम होती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कुटीर उद्योग जैसी संबद्ध गतिविधियों में विविधीकरण के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को शहरी बाजारों के साथ बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इन गतिविधियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बुनियादी सुविधाऐं और ऋण सुविधाऐं प्रदान की जा सकती हैं। जैविक खेती समय की जरूरत है, इसलिए इसे अपनाने के लिए किसान समुदाय को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। किसानों और सरकार के बीच संवाद बढ़ाने की भी जरूरत है।